मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR
Ph: 0141-2228066, Fax: 0141-2228065, email: rmsc@nic.in www.rmsc.nic.in

Letter No.: 2429/20/05/2013 Date: 20-05-2013

प्रिंसिपल एवं नियंत्रक,
अधीक्षक, मेडिकल कालेज सम्बद्ध चिकित्सालय,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त।

विषयः– "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" अन्तर्गत दवा वितरण केन्द्र पर अनुपलब्ध (Not available) दवाओं की रिपोर्ट पर प्रतिसप्ताह कार्यवाही कर भिजवाने हेतु।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत दवा वितरण केन्द्रों पर आने वाले सभी मरीजों को कम्प्यूटरीकृत दवा विवरण पत्र (Patient Voucher) दिया जा रहा है। जिस पर निःशुल्क वितरित की जाने वाली दवाओं का विवरण होता है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशानुसार ई–औषधि साफ्टवेयर में दवा विवरण पत्र के साथ–साथ उन दवाओं की भी प्रविष्टि की जा रही है, जो EDL में है व चिकित्सक द्वारा मरीजों को लिखी जा रही है परन्तु दवा वितरण केन्द्र पर अनुपलब्ध (Not Available) होने के कारण मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साफ्टवेयर में ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि को एक **"NA Hit"** माना गया है।

आपके अधीन चिकित्सालय/चिकित्सालयों पर अनुपलब्ध दवाईयों (NA Hits) की सूची (DDC wise) इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। जिसमें प्रत्येक अनुपलब्ध दवा के सम्मुख उसकी संभावित सप्लाई (आरएमएससी द्वारा जिला औषधि भंडार को) स्थिति का विवरण भी लिखा गया है। अनुपलब्ध दवाईयों के सम्बन्ध में निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है :–

1- संलग्न (NA Hits) की सूची में कुछ ऐसी दवाईयां भी है जो जिला औषधि भंडार या सब–स्टोर में उपलब्ध है, लेकिन दवा वितरण केन्द्र पर अनुपलब्ध है। अतः ऐसी दवाईयों को यथाशीघ्र दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध करावें।
2- जिन अनुपलब्ध दवाईयों की सप्लाई में कुछ समय लगने की संभावना है उनकी सूची जिला औषधि भंडार प्रभारी को उपलब्ध कराई गई है। अतः जिला औषधि भंडार प्रभारी से परामर्श कर आवश्यकतानुसार आंवटित बजट से स्थानीय स्तर पर क्रय (Local purchase) किया जाये।
    - दर संविदा करके रख ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रक्रियागत विलम्ब ना हो।
    - स्थानीय क्रय एक बार में 1–2 माह की आवश्यक मात्रा का ही किया जावे।
    - क्रयादेश जारी करते समय आपूर्ति समय को कम से कम (7–10 दिवस) ही रखा जावे।
    - बेहद आवश्यकता होने पर Drug & Theraputic Committee की अनुशंषा पर EDL से बाहर की दवाईयां भी इस मद से क्रय की जा सकती है।
3- यदि सम्भव हो तो अनुपलब्ध दवाईयों के स्थान पर अन्य स्ट्रेन्थ की वही दवा या उसी ग्रुप की अन्य दवा (Alternative prescription) मरीजों को लिखी जा सकती है।

प्रयास यह रहना चाहिए कि आपके संस्थान/संस्थानों पर चिकित्सक द्वारा लिखी गई कोई भी दवा अनुपलब्ध न रहे व NA Hits शून्य हो जाए, जिससे दवा वितरण केन्द्र पर आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो सके।

मुख्यालय द्वारा आपके अधीन चिकित्सालय/चिकित्सालयों पर अनुपलब्ध दवाईयों के हिट्स की सूची (DDC wise) प्रति सोमवार आपको ई–मेल के माध्यम से भेजी जाती रहेगी, जिस पर प्रस्तावित/की गई कार्यवाही की सूचना प्रति शुक्रवार को उसी फॉर्मेट में भर कर पुनः मुख्यालय को ई–मेल rmsc@nic.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

संलग्न :–

1. आपके चिकित्सा संस्थान/संस्थानों की (NA Hits) की सूची।